बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

–::ज्ञापन::–

1. सासाराम (रोहतास) जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दो योजनाओं यथा (1) आरा सासाराम पथ से अमैठी तक पथ निर्माण कार्य (पैकेज सं0–BR-28R-157) में अनियमिता के फलस्वरूप वित्तीय क्षति की राशि 13,91,3227/– आकलित की गयी एवं (2) आरा सासाराम पी0डब्लयू0डी0 रोड से लिंगा खेलड़िया होते हुए काराकाट पी0डब्लयू0डी0 रोड तक पथ निर्माण कार्य (पैकेज सं0–BR-28R-112) में वित्तीय क्षति का आकलन 70,52,396/– किया गया। परन्तु उक्त जाँच प्रतिवेदन मे त्रुटिपूर्ण पथांश का लंबाई अंकित नहीं रहने के कारण वित्तीय क्षति का पूर्ण आकलन नहीं किया जा सका। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 से विभागीय पत्रांक 420 दिनांक 14. 02.2019 द्वारा वांछित प्रतिवेदन की मांग की गयी। इस क्रम में स्मारित भी किया गया परन्तु वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. श्री रामचन्द्र पंडित का पदस्थापन विभागीय अधिसूचना सं0–3480 दिनांक–30.06.2023 के द्वारा कार्यपालक अभियंता के पद पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 में किया गया। उनके पदस्थापन अवधि में भी विभागीय पत्रांक–94 दिनांक–16.01.2024, पत्रांक–2240 अनु0 दिनांक–06.08.2024 द्वारा वांछित प्रतिवेदन की मांग की गयी। ससमय जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनसे विभागीय पत्रांक 3251 दिनांक 20.03. 2025 द्वारा वांछित प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी, वांछित प्रतिवेदन अप्राप्ति की स्थिति में इन्हें विभागीय पत्रांक 9588 दिनांक 04.09.2025 द्वारा इनको स्मारित भी किया गया परंतु उक्त के आलोक में भी श्री पंडित के द्वारा वांछित प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। श्री पंडित का उक्त कृत्य विभागीय आदेश की अवहेलना को दर्शाता है।
3. श्री रामचन्द्र पंडित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–1 विरूद्ध उक्त आरोपों पर आरोप पत्र गठित किया गया है तथा उक्त आरोपों की बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली, 2005 के नियम–17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन जाँच करने का प्रस्ताव है।
4. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री रामचन्द्र पंडित, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 से अपेक्षा की जाती है कि अधिकतम एक पक्ष (15 दिनों) के अन्दर अपने बचाव का लिखित अभिकथन अवश्य प्रस्तुत करें।
5. श्री रामचन्द्र पंडित को सूचित किया जाता है कि उक्त आरोप के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन उपर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होने पर, विभागीय जाँच एकपक्षीय/उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर कर ली जायेगी।

कृपया इस ज्ञापन की प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

29/11/25

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

स्पीड पोस्ट/ई मेल

ज्ञाप सं0–03/अ0प्र0–01–374/2012 12121 (अ.गो.) पटना, दिनांक 1.12.25

प्रतिलिपि :– श्री रामचन्द्र पंडित, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 को आरोप पत्र तथा साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संबंधित के ईमेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:– यथोक्त

28/11/25
अवर सचिव।

बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली 2017 के आलोक में श्री रामचन्द्र पंडित, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन।

भाग–1– आरोपित सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

आरोप पत्र

1. नाम	:–	श्री रामचन्द्र पंडित
2. पदनाम	:–	कार्यपालक अभियंता
3. जन्म तिथि	:–	20.07.1987
4. सेवानिवृति की तिथि	:–	31.07.2047
5. सेवा/संवर्ग का नाम	:–	बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग
6. पद समूह एवं विभाग	:–	ग्रामीण कार्य विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	:–	196/2024
8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	:–	L-11
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–	2024–25
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कालबाधित होने की तिथि	:–	लागू नहीं।

7/11/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

भाग–2–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. सासाराम (रोहतास) जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पथ आरा सासाराम पथ से अमैठी तक तथा आरा सासाराम पी0डब्लू0डी0 रोड से लिंगा खेलड़िया होते हुए काराकाट पी0डब्लू0डी0 रोड तक पथ निर्माण कार्य में वित्तीय क्षति का पूर्ण आकलन करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने संबंधी विभागीय निदेश की अवहेलना के आरोप में श्री रामचन्द्र पंडित, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–01 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी एवं वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक 9588 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा उन्हें स्मारित भी किया गया परंतु श्री पंडित के द्वारा वांछित प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। श्री पंडित का उक्त कृत्य विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

2. स्पष्ट है कि श्री रामचन्द्र पंडित, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–01 के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही बरती गयी है तथा विभागीय आदेश की अवहेलना की गयी है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन है।

28/11/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

भाग–3–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. सासाराम (रोहतास) जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दो योजनाओं यथा (1) आरा सासाराम पथ से अमैठी तक पथ निर्माण कार्य (पैकेज सं0–BR-28R-157) एवं (2) आरा सासाराम पी0डब्लयू0डी0 रोड से लिंगा खेलड़िया होते हुए काराकाट पी0डब्लयू0डी0 रोड तक पथ निर्माण कार्य (पैकेज सं0–BR-28R-112) की कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पत्रांक 43 दिनांक 10.09.2012 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन में पथ निर्माण कार्य में अनियमितता एवं वित्तीय क्षति प्रतिवेदित की गई।
2. उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम पथ आरा सासाराम पथ से अमैठी तक पथ निर्माण में अनियमितता के फलस्वरूप हुई वित्तीय क्षति की रू० 13,91,227/– आकलित की गई दूसरे पथ की वित्तीय क्षति का आकलन विभाग द्वारा रू० 70,52,396/– किया गया परन्तु उक्त जाँच प्रतिवेदन में त्रुटिपूर्ण पथांश का लंबाई अंकित नहीं रहने के कारण वित्तीय क्षति का पूर्ण आकलन नहीं किया जा सका। उक्त के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 से विभागीय पत्रांक–420 दिनांक–14.02.2019, पत्रांक–232 दिनांक–09.01.2020, पत्रांक–437 दिनांक–27.02.2023 एवं पत्रांक–94 दिनांक–16.01.2024 द्वारा वित्तीय क्षति का पूर्ण आकलन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। परन्तु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
3. श्री रामचन्द्र पंडित का पदस्थापन विभागीय अधिसूचना सं0–3480 दिनांक–30.06.2023 के द्वारा कार्यपालक अभियंता के पद पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–01 में किया गया। उनके पदस्थापन अवधि में भी विभागीय पत्रांक–94 दिनांक–16.01.2024, पत्रांक–2240 अनु0 दिनांक–06.08.2024 द्वारा वांछित प्रतिवेदन की मांग की गयी। ससमय जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनसे विभागीय पत्रांक 3251 दिनांक 20.03.2025 द्वारा वांछित प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्ति की स्थिति में इन्हें विभागीय पत्रांक 9588 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा स्मारित भी किया गया परंतु उक्त के आलोक में भी श्री पंडित के द्वारा वांछित प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। श्री पंडित का उक्त कृत्य विभागीय आदेश की अवहेलना को दर्शाता है।
4. स्पष्ट है कि श्री रामचन्द्र पंडित, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–01 के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही बरती गयी है तथा विभागीय आदेश की अवहेलना की गयी है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन है।

28/11/25
(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

भाग–4–(क) दस्तावेजों की सूची

क्र0 सं0	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1	विभागीय पत्रांक–420 दिनांक–14.02.2019 पत्रांक–232 दिनांक–09.01.2020, पत्रांक–437 अनु0 दिनांक–27.02.2023 पत्रांक–94 दिनांक–16.01.2024, पत्रांक 2240 दिनांक 06. 08.2024, पत्रांक 3251 दिनांक 20.03.2025 तथा 9588 दिनांक 04.09.2025	07

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव